न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 12/2019

अनवान : –

उर्मिला देवी पत्नी भूप सिंह जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रार्थीया

बनाम

श्योकरण पुत्र चुन्नी जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री बलविन्द्रसिंह थिन्द अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 19/3/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया काश्तकारी पेशा औरतजात है । प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 5 एम. के. एस. के खाता स० 23/21 के प० न० 198 / 222 मु0 न0 59 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 23 / 1, 23 / 2 कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2रू078 सलग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थी की कृषि भूमि क 5 एम. के. एस. के खाता स० 152/147 के प0न० 197/221 मु0 न0 51 के किला न0 17, 18, 24, 25, प० न० 198 / 221 मु० न0 52 के किला न0 21/1, 21/2, प० न० 198/222 मु0न0 59 के किला न० 1/1, 1/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21/1, 21/2. 22/1, 22/2, 40 70 198/223 मु० न० 60 के किला 0 1 व 2 में कुल 3.618 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज चली आ रही है। चक 8 एम. के. एस. के प० न० 197 / 223 के किला न० 1 ता 5 प्रत्येक में . 025 हैक्टेयर गै0 मु0 रास्ता उतरी नींव पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृत चला आ रहा है तथा चक 5 एम.के. एस. के प० न० 198/222 के मु० न० 59 के किला न0 21 ता स्वीकृत चला आ रहा है। 5. यह कि चक 5 एम. के. एस. 8 एम. के. एस. के प० न० में जोड़ने के लिए चक 5, 25 प्रत्येक में भी .025 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 संलग्न प्रार्थना पत्र है । के प० न० 198 / 222 के किला न0 21 तथा चक न० 197/223 के किला न0 5 में स्वीकृत रास्ता को आपस एम. के. एस. के प० न० 198/223 के किला न० 1 या चक 8 एम. के. एस. के प० न० 197/222 के किला न0 25 में कोई रास्ता स्वीकृत दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थीया व चक के अन्य काश्तकारान को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया चक 5 एम.के. एस. व चक 8 एम. के. एस. के उक्त किलो में स्वीकृत रास्ता को आपस में जोड़ने के लिए चक 5 एम.के.एस. के प० न० 198/223 के किला न० 1 की उतरी–पश्चिमी

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

कोर्नर पर 162–162 फुट अर्थात 0025 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। ताकि प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े प्रार्थीया ने अप्रार्थी से 2 दिवस पूर्व निवेदन किया कि चक 5 एम. के. एस. के प० न० 198 /223 के किला न० 1 के उतरी–पश्चिमी कोर्नर पर 162–16½ फुट अर्थात .0025 हैक्टेयर स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थी ऐसा करने से इन्कार हो गया। यही वाद कारण है प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 5 एम. के. एस के प० न० 198 /223 के किला न० 1 की उतरी–पश्चिमी कोर्नर पर 16 / 2–16/2 फुट अर्थात .0025 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी श्योकरण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि चक 8 एमकेएस के प०न० 197/223 के किलानं0 1 ता 5 प्रत्येक में .025 है0 गै०मु० रास्ता दर्ज होने का कथन तथा चक 5 एम. के. एस के प0न0 198 / 222 मु0 59 के किलानं0 21 ता 25 प्रत्येक में .–025 है0 गै०मु० रास्ता कागजात माल में दर्ज होने का कथन अधूरा दर्ज होने के कारण 12 स्वीकार नही । चक 8 एम. के. एस के प0न0 197/223 के किला नं० 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है0 गै०मु० खाला भी दर्ज है तथा वर्तमान में उपरोक्त वर्णित आराजी में गै०मु० खाला ही चला आ रहा है जो कि पक्का तामीरशुदा है तथा इसी खाला के जरिये चक के काश्तकारान के खेतों में सिचाई सुविधा होती है। चूँकि प०न० 197/223 के किलानं0 1 ता 5 में दर्ज गै०मु० रास्ता की किसी काश्तकारान को कोई आवश्यकता नही थी। इसलिए उपरोक्त वर्णित रास्ता कभी भी चालु नही रहा अर्थात अरसा कदीम से बन्द पड़ा है तथा चक 5 एम. के. एस के प0न0 198 / 222 मु0 59 के किलानं0 21 ता 25 में दर्ज गै०मुव रास्ता की भी किसी पक्षकारान को कोई आवश्यकता नही थी इसलिए उपरोक्त वर्णित रास्ता भी कभी चालू नही रहा तथा वर्तमान में भी उपरोक्त वर्णित रास्ता बन्द है । चक 8 एम. के. एस के प0न0 197 / 223 के किलानं0 1 ता 5 तथा चक 5 एम. के. एस के प0न0 198 /222 मु0 59 के किलानं0 21 ता 25 मे दर्ज गै०मु० रास्ता की चक के काश्तकारान को कोई आवश्यकता नही थी इसलिए उपरोक्त वर्णित रास्ता अरसा कदीम से बंद चला आ रहा है, उपरोक्त वर्णित रास्ता को आपस में जोड़ने के लिए चक 5 एम.के. एस के प0न0 198/223 के किलानं0 1 या चक 8 एम. के. एस के प0न0 197/222 के किलानं0 25 में रास्ता स्वीकृत करवाने की कोई आवश्यकता ही नही है । चक 8 एम. के. एस के प0न0 197/222 के किलानं0 25 में सिचाई विभाग का नाका स्वीकृत है तथा इसके दक्षिणी पूर्वी कोने में अप्रार्थी का टयूबवैल लगा हुआ है। चक 5 एम.के.एस के प0न0 198/223 के किलानं0 1 के उतर–पश्चिमी कोने पर मुझ अप्रार्थी का कमरा बना है जिसमें अप्रार्थी खेती के औजार रखता चला आ रहा है। प्रार्थीया व चक के हुआ सभी काश्तकारान अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागन करते चले आ रहे है । चक के किसी भी काश्तकारान को कोई असुविधा नही है । प्रार्थीया ने मुझ अप्रार्थी को तंग– परेशान व खर्चा से जैरकार करने के मकसद से रंजिश वंश गलत व झूठे कथनों के आधार पर दरख्वास्त रास्ता स्वीकृति पेश की है जो कि काबिल

Scanned with CamScanner

खारीजी के है । प्रर्थीया की आराजी के उतर व पूर्व की ओर प्रार्थीया के ससुराल के परिवार की आराजी है जो स्वीकृत शुदा रास्ता पर है जिसके जरिये ही प्रार्थीया व प्रार्थीया के ससुराल के परिवार के सदस्य अपनी–अपनी आराजी में आवागन करते चले आ रहे है । दरख्वास्त प्रार्थीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 श्एश की शर्तो के अधीन न होने के कारण काबिज खारीज के है । प्रार्थीया को मुझ अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नही है प्रार्थीया ने दफा हाजा में अंकित नही किया कि दरख्वास्त प्रार्थीया कितने रुपये की कोर्टफीस पर पेश है जबकि न्यायशुल्क के बारे में स्पष्ट रुप से अंकित किया जाना चाहिए । अतः जबाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त प्रार्थीया बाबत रास्ता स्वीकृति खारीज फरमाई जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा पत्रांक 40 दिनांक 17.01.2022 द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त की गयी उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवकता द्वारा उजदारी जाहिर करते हुए पुनः सही मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार टिब्बी को पुन रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर दिनांक 27.08.2024 राजकाज रेफरेन्स न0 9749319 द्वारा पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। उक्त रिपोर्ट पर भी अप्रार्थी द्वारा ऐतराज जाहिर करने पर तहसीलदार टिब्बी को स्वयं मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार टिब्बी द्वारा पत्राक 2920 दिनांक 17.12.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी उक्त रिपोर्ट पर भी ऐतराज जाहिर करते हुए वकील उभयपक्ष ने स्व्यं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण का निवेदन किया उक्त निवेदन पर दिनांक 14.02.2025 को हल्का पटवारी के साथ स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर फर्द मौका व नजरी नक्शा तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो के अवलोकन किया गया मौका व रिकोर्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि चक 8 एम केएस के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 5 के प्रत्येक किले में उतरी किनारे पर मंजुरशुद्धा रास्ते का आगे चक 5 एमकेएस के चिपते मु0न0 59 के रास्ते से सीधा मिलान नही होता है क्यों कि चक 5 एमकेएस के मु0न0 59 के किला न0 21 ता 25 के दक्षिणी किनारो मंजुरशुद्धा रास्ता है जो कि चक 8 एम केएस के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 5 के रास्ते के सीध में नही है इसलिए दोनो मुरब्बो में उक्त रास्ता कभी चालू नही रहा व वर्तमान में भी उक्त दोनो मुरब्बों में रास्ते की भूमि पर कोई रास्ता चलायमान नही है चक 8 एम केएस के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 5 में मंजूरशुद्धा रास्ते के चिपते दक्षिणी दिशा में समानान्तर गै0मु0 खाला स्वीकृत है परन्तु मौके पर उक्त खाला मु0 62 के किला न0 1 ता 5 के मंजुरशुद्धा रास्ते की भूमि पर बना हुआ है व पक्का निर्मित है। उक्त खाला मु0 न0 62 के किला न0 5 से टर्न होकर मु0न0 62 के किला न0 5,6,15,16,25 के पूर्वी किनारों में उतर से दक्षिण पक्का निर्मित है जिससे आगे के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है मुताबिक मौका निरीक्षण दिनांक 14.02.2025 को मौके पर चक 8 एमकेएस के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 5 के मंजुरशुद्धा रास्ते के चिपते दक्षिण दिशा में सामानान्तर गै0मु0 खाला स्वीकृत है परन्तु मौके पर उक्त खाला मु0न0 62 के किला न0 1 ता 5 में मंजुरशुद्धा रास्ते की भूमि पर पक्का निर्मित खाला है प्रार्थीया द्वारा चाहे गए रास्ते की जगह सिंचाई विभाग का पक्का खाला निर्मित है। अगर उक्त जगह मु0न0 62

Scanned with CamScanner

के किला न0 1 ता 5 की सीध में रास्ता मंजुर होता है तो मौके पर रास्ते को चलायमान किया जाना संभव नहीं होगा, क्यों कि मौके पर सिंचाई विभाग का पक्का खाला निर्मित है इससे संबधित काश्तकारों की सिंचाई सुविधा बाधित होगी।

अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर गै0मु0 रास्ते व गै0मु0 खाले की भूमि के रिकोर्ड व मौके की भिन्नता होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज किया जाता है। प्रार्थीया अन्यत्र भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

निर्णय आदिनांक 19/3/25 को मेंरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner